

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व 50 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करवाने हेतु आवेदन—पत्र

1.	कार्यालय का नाम	
2.	पद का नाम जिसका अतिरिक्त कार्य किया	
3.	पद जिसका अतिरिक्त कार्य किया का समय	
4.	पद जिसका अतिरिक्त कार्य किया रिक्त रहने का कारण	
5.	जिस व्यक्ति से चार्ज लिया उसका विवरण पद नाम	
6.	जिस व्यक्ति ने अतिरिक्त कार्य किया उसका विवरण	
	नाम व्यक्ति	
	पद जिस पर कार्यरत है	
	चार्ज दिलवाने का कारण	
	क्या उस पद के योग्य था जिसका चार्ज लिया	हां / नहीं
	यदि नहीं तो किस कारण से चार्ज दिलवाया	
	पद जिसका चार्ज लिया है उसमें वरिष्ठतम् है, यदि नहीं तो कारण	

प्रमाण पत्र

- इस आवेदन की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त नहीं हुई है तथा इसका भुगतान पूर्व में इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।
- श्री ने अपने पद के साथ—साथ के पद का अतिरिक्त कार्य दिनांक से संपादित किया।
- इस अवधि में श्री ने समर्पित अवकाश/परिवर्तित अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार का अवकाश नहीं लिया है।
- इस अवधि में श्री ने आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार का अवकाश नहीं लिया है।
- उक्त अवधि में का पद रिक्त रहा है एवं इस पद के विरुद्ध किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
- रिक्त हुए पद का चार्ज दो अथवा अधिक कर्मचारियों में नहीं बांटा गया।
- यदि श्री को अधिक वेतन का संदाय किया गया तो वसूली योग्य है।
- चार्ज रिपार्ट एवं आदेशों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

:—संबंधित अधिकारी की टिप्पणी :—

श्री को राजस्थान सेवा नियम 35 व 50 के अन्तर्गत दिनांक से तक अपने कार्य के साथ—साथ के पद का कार्य सम्पादित करने के फलस्वरूप इन्हें इनके वेतन का नियमानुसार 2 प्रतिशत अधिदेय भत्ता स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

संलग्न :—

संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर